कल्याणकारी राज्य
[THE WELFARE STATE]

"लोकहितकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।"

—केप्ट

परिचय (Introduction)—लोककल्याणकारी राज्य की धारणा बहुत लोकप्रिय होने लगी है। लोककल्याणकारी या लोकहितकारी राज्य का अभिप्राय उस राज्य से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान की जाती है, उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस व्यवस्था में किसी समुदाय या किसी वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में न रखकर समाज के सभी अंगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

यद्यपि यह विचार कोई नवीन विचार नहीं है। इस विचार के दर्शन प्राचीन भारतीय ग्रन्थों—(महाभारत, मनु-स्मृति, अर्थशास्त्र) में, ग्रीक विचारकों (प्लेटो, अरस्तू) के विचारों में होते हैं। एक ओर महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि, "राज्य को निरन्तर सत्य की रक्षा करनी चाहिए, व्यक्तियों के नैतिक जीवन का पथ-प्रदर्शन, शुद्धि तथा नियन्त्रण करना चाहिए तथ पृथ्वी को मनुष्य के लिए निवास योग्य एवं सुखदायिनी बनाना चाहिए।" दूसरी ओर पाश्चात्य विचारक अरस्तू के विचार ध्यान देने योग्य हैं कि, "राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा उसका अस्तित्व सद्जीवन के लिए है।" वास्तव में, मूलतः ही लोकहितकारी है, यद्यपि उसका यह स्वरूप देशकाल के अनुसार बदलता रहा है। मध्य युग के पश्चात् जब राजतन्त्रों का उदय हुआ तो राजा अपने कार्यों का औचित्य लोक-कल्याण की दृष्टि से ही सिद्ध करते थे। राज्य का स्वरूप कैसा भी रहा, उसका उद्देश्य लोक-कल्याण बना रहना चाहिए। **विलियम इवेंसटीन** के शब्दों में, 'राज्य का स्वरूप मुख्यतः कल्याणकारी है। राज्य का आकार कैसा ही क्यों न हो—लोकतन्त्र या सर्व-सत्ताधारी, राजतंन्त्र हो या गणतन्त्र, साम्यवादी हो, फासीवादी, पूँजीवादी हो या सर्वाधिकारवादी साधारण जनता में यह भावना प्रबल होनी चाहिए कि शासन व्यवस्था उनके कल्याण के लिए उपयुक्त कार्य कर रही है।"

लोककल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के कारण—लोककल्याणकारी राज्य की धारणा का उदय प्राचीन काल की धारणा के प्रभाव से प्रेरित न होकर अग्र कारणों से प्रेरित हुई है—

Scanned with CamScanner

(1) व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया—18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी धारणा के उदय के कारण राज्य के कार्य सीमित करने और मुक्त व्यापार नीति के आविर्भाव के कारण उत्पादन और वितरण का स्वामित्व पूँजीपतियों के पास आ गया, पूँजीपतियों ने लाभ की भावना और प्रतियोगिता के कारण श्रमिकों को कम वेतन देने और अधिक काम लेने की परम्परा शुरू की, जिससे श्रमिकों का शोषण होने लगा। राजसत्ता पर पूँजीवाद का इतना प्रभाव पड़ा कि जन-साधारण के हितों की हानि हुई। इसके प्रतिक्रिया के रूप में अनेक समाजवादी पैदा हुए जिनका उद्देश्य पूँजीवाद को समाप्त करना तथा उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का आधिपत्य स्थापित करके राज्य के कार्यक्षेत्र को लोकहित की ओर परिवर्तित करना था।

(2) मार्क्सवाद का व्यावहारिक स्वरूप—कार्ल मार्क्स ने पूँजीवाद के शोषण से मुक्ति पाने के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की अवस्था लाने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित करना चाहा था। मार्क्स के सिद्धान्तों में थोड़ा परिवर्तन करके लेनिन ने रूस में साम्यवादी क्रान्ति करा दी थी और वहाँ साम्यवादी दल का अधिनायकवाद स्थापित किया। साम्यवाद पूँजीवाद लोकतन्त्र के प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। साम्यवाद के बढ़ने से और साम्यवादी सरकारों ने आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में कार्यों को करना प्रारम्भ किया जिससे जनहित हो सके और जनता को मौलिक आवश्यकताओं की चिन्ता से मुक्ति मिल सके, इसके कारण पूँजीवादी देशों की सरकारों ने भी अपना कार्य क्षेत्र लोकहितकारी बनाना प्रारम्भ किया जिससे वहाँ साम्यवादी क्रान्ति की संभावना न रहे।

(3) समाजवाद तथा लोकतन्त्र का विकास—मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव से विकासवादी समाजवादी विचारधाराएँ भी फैलने लगीं। इनका उद्देश्य हिंसा और क्रान्ति के विरुद्ध शान्ति, अहिंसा द्वारा समाजवादी विचारों का प्रचार करके देश में समाजवादी अर्थ-व्यवस्था लाना था। इस लोकतन्त्री समाजवाद का कार्य क्षेत्र लोक-कल्याण को बढ़ाना है।

(4) अन्तर्राष्ट्रवाद का विकास—द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य युद्ध रोकना, मानवीय अधिकारों की रक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में मानव का कल्याण करना है। इसका प्रभाव सभी देशों की सरकारों पर पड़ा। इसलिए सभी सरकारें अपने कार्यक्षेत्र को लोककल्याणकारी बनाने के लिए प्रेरित हुईं।

परिभाषा—लोककल्याणकारी राज्य की परिभाषा कई विद्धानों ने दी है। कुछ परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

जी. डी. एच. कोल के शब्दों में, "कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन-स्तर और समान अवसर प्राप्त होता है।"[1]

डॉ. अब्राहम के अनुसार—"लोककल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है।"[2]

---

1 "The welfare state is a society which ensures minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen." —*G.D.H. Cole*

2 "A welfare state is a community where state's power is deliberately used to modify the normal play of economic forces so as to obtain a more equal distribution of income for every citizen." —*Abraham*

Scanned with CamScanner

डा. गार्नर के अनुसार—"कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर को विस्तृत करना है।"[1]

मैकाइवर के शब्दों में, "राज्य का स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक कार्य शासन व्यवस्था को ठीक स्थिति में रखना तथा मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना है।"[2]

हॉब्सन के अनुसार—"आज राज्य एक डाक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कम्पनी का एजेण्ट, मकान बनाने वाला, नगर योजना तैयार करने वाला तथा रेलवे-नियन्त्रक इत्यादि हो गया है।"[3]

केण्ट के अनुसार—"कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सुविधाएँ प्रदान करे।"[4]

हॉबमैन के शब्दों में—"कल्याणकारी राज्य जीवन का कम से कम स्तर प्रदान करने का उत्तरदायित्व लेता है जो व्यक्तिगत कार्य व्यवहार के प्रोत्साहन को बिना हानि पहुँचाए होता है और ऊँची आमदनी पर अधिक कर लगाकर, सीमित रूप में आमदनी का वितरण करता है··· सभी नागरिकों को बीमारी, वृद्धावस्था, बेकारी आदि की स्थिति में पर्याप्त सहायता देता है।"[5]

पं. जवाहर लाल नेहरू के अनुसार, "सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अन्तर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोकहितकारी राज्यों का आधारभूत तत्व है।"

आर्थर श्लेसिंगर के शब्दों में, "कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसमें सरकार रोजगार, आय, शिक्षा, डाक्टरी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के निर्धारित स्तर को सभी नागरिकों को प्रदान करने के लिए सहमत हो।"[6]

हर्बर्ट एच. लेमैन के अनुसार, "कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें लोगों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने का अवसर प्राप्त हो। उन्हें उनकी प्रतिभाओं के लिए

---

1 "It is the plain duty of the state to see that the social and economic conditions under which the individual is compelled to live are such that he can develop his abilities, make the most of the faculties with which he is endowed by nature and thus realise fully the ends of his existence." —*Garner*

2 "The positive and negative tasks of the state are to establish order and to respect personality." —*R.M. MacIver*

3 "The state has assumed the duties of a doctor, a nurse, a school master, a trader and a manufacturer, an insurance agent, a house builder, a town planner, a railway controller and a hundred other functions." —*Hobson*

4 "It is a state which provides for the citizens a wide range of social services." —*Kent*

5 "The welfare state guarantees a minimum standard of subsistence without removing incentives to private enterprize, and it brings about a limited redistribution of income by means of graduated high taxation. All are assured of adequate help in case of need wheather the need is due to illness, old age, unemployment or any other caus " —*Hobbman*

6 "The welfare state is a system in which government agrees to under write certain levels of employment, education, medical aid, social security and housing for all its citizens." —*Arthur Schlesinger*

Scanned with CamScanner

समुचित पुरस्कार मिले तथा वे भूख, गृह-विहीनता तथा जाति, धर्म अथवा रंग भेदभाव के भय से मुक्त होकर सुखी रह सकें।"[1]

इन उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आज राज्य का कार्यक्षेत्र केवल पुलिस राज्य तक सीमित न रहकर व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि तक बढ़ गया है। इसका कारण यही है कि सामान्य नागरिक का कल्याण हो सके।

कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ अथवा उद्देश्य—लोककल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(1) सार्वजनिक कल्याण—लोककल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपनी जनता का कल्याण करना होता है। इसके लिए वह अनेक कार्य करता है, जैसे—अशिक्षा दूर करना, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना, बेरोजगारी निवारण करना, अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना, भोजन, वस्त्र, आवास की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना, भ्रष्टाचार और अत्याचार मिटाने की व्यवस्था करना।

(2) मानव अधिकार—लोकतन्त्रीय राज्यों में मानव अधिकारों की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। यद्यपि आज प्रत्येक सरकार अपने को लोकतन्त्रीय कहलाना पसन्द करती है और इसके कारण वह मानव अधिकारों की व्यवस्था और रक्षा करना चाहती है। स्वतन्त्रता, समानता, शोषण से मुक्ति कुछ ऐसे ही अधिकार हैं।

(3) आर्थिक सुरक्षा—आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना आज प्रत्येक प्रकार की सरकार का दायित्व है और वह इसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करती है परन्तु लोककल्याणकारी राज्य की सरकार का तो यह आधारभूत कार्य है। इसके लिए वह अनेक प्रयास करती है, जैसे—रोजगार, न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, बीमा, पेंशन, जीवन सुरक्षा कोष की व्यवस्था, बीमारी, वृद्धावस्था, अयोग्यता, अभाव, दुर्घटना आदि में सुरक्षा और दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि कार्य।

(4) सामाजिक सुरक्षा—समाज में सभी व्यक्तियों को समाज का सदस्य और मानव के होने के नाते समान व्यवहार मिले। किसी के साथ कोई भेदभाव इस आधार पर न किया जाए। समाज के सभी वर्गों से शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ और बाधाएँ दूर की जाएँ। एक व्यक्ति को दूसरे के सुख का साधन न माना जाए। **डॉ. बेनी प्रसाद** के शब्दों में, "यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता है और किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधनमात्र नहीं समझा जाना चाहिए।"

(5) व्यक्ति और राज्य में घनिष्ठता—इस राज्य में व्यक्ति का महत्त्व स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति और राज्य परस्पर सम्बन्धित होते हुए एक-दूसरे के लिए आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों ही साध्य और साधन हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता दोनों

---

1. "The welfare state is imply a state in which people are free to develop their individual capacities, to receive just rewards for their individual talents and to engage in pursuit of happiness, unburdened by fear of actual hunger, actual homelessness. or oppression by reason of race, creed or colour."
—*Herbert H. Lehman*

Scanned with CamScanner

में सन्तुलन रखा जाता है। इस राज्य में एक सबके लिए और सब एक के लिए की धारणा पर बल दिया जाता है।

(6) राज्य का बढ़ता कार्यक्षेत्र—आज राज्य का कार्यक्षेत्र पुलिस राज्य के कार्यक्षेत्र से कहीं अधिक बढ़ गया है। आज राज्य मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। इसलिए कहा जाने लगा है कि पालने से कब्र तक (From cradle to grave) राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। आज मनुष्य का जीवन का प्रत्येक क्षण राज्य के प्रभाव से प्रभावित है। व्यक्ति की प्रत्येक समस्या राज्य की समस्या है।

(7) राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना—आज राज्य का कार्य मनुष्य को राजनीतिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसके लिए वह व्यक्तियों को शासन में भागीदारी, कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ और अधिकार तथा नागरिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। आज राज्य व्यक्तियों के राजनीतिक हितों को महत्त्व देता है और उनके दिशा निर्देशों का पालन करता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीयता और शान्ति में विश्वास—लोककल्याणकारी राज्य का यह उद्देश्य होता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति, सह-अस्तित्व और आर्थिक, वैज्ञानिक, सैनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग करे। यदि कभी प्राकृतिक विपदा आती है तो आज दुनिया के सभी देश अपने मतभेदों को भूलकर मदद करने के लिए आगे आते हैं। इसका कारण यह है कि आज अन्तर्राष्ट्रीयता के कारण विश्व के सभी देश दूसरे देशों के निकट सम्पर्क में आ गये हैं।

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य—लोककल्याणकारी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में **सी. डी. बर्न्स** का मत है कि, "राष्ट्रीय जीवन को पूर्ण बनाने और राष्ट्र का स्वास्थ्य, हित, नैतिकता और बुद्धि की उन्नति के लिए राज्य को पूरी सहायता देनी चाहिए।" लोककल्याणकारी राज्य के कार्यों पर **टी. डब्ल्यू. केण्ट** का मत है कि, "कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज-सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बेरोजगारी की स्थिति और वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है।"

लोककल्याणकारी राज्य के कार्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) आत्म रक्षा सम्बन्धी कार्य—प्रत्येक राज्य का प्रमुख कार्य अपनी सीमाओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना होता है, इसके लिए वह सैनिक और प्रतिरक्षा के अन्य साधनों की व्यवस्था करता है। राज्य चाहे तो इस कार्य के लिए वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा किसी दूसरे देश के साथ सन्धि कर सकता है। अपने आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस, कानून आदि व्यवस्था करता है। इस कार्य में कभी-कभी सेना की आवश्यकता भी पड़ जाती है। शान्ति से जीने के लिए शक्तिशाली होना अनिवार्य है। अन्यथा कोई भी पड़ौसी या शक्तिशाली राज्य हानि पहुँचा सकता है।

(2) प्रशासकीय कार्य—शासन का संगठन और संचालन राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। राज्य अपने इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों की भर्ती करके करता है। प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी योग्यता की जाँच हो सके। प्रशासनिक कर्मचारी जनता और सरकार के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करें, इसके लिए प्रयास किया जाता है। प्रशासनिक विभागों के मध्य सहयोग बना रहे, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार के तीनों अंगों—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से, कानून बनाकर, लागू करके और कानूनों की व्याख्या करके यह कार्य करता है।

(3) **नियोजन सम्बन्धी कार्य**—नियोजन का लोककल्याणकारी राज्य में विशेष महत्त्व होता है क्योंकि उसके कार्य बहुत बढ़ जाते हैं। उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। ये सारे कार्य बिना नियोजन के सफलता से नहीं हो पाते हैं। इन कार्यों का चयन तथा प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण करके, उनके सम्पादन की व्यवस्था करना आदि के माध्यम से वांछित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रायः सभी विकासशील देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए नियोजन की विधि को अपनाया जाता है।

(4) **आर्थिक कार्य**—लोककल्याणकारी राज्य का यह आदर्श है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से इतना सम्पन्न होना चाहिए कि वह अपनी दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, आवास) की प्राप्ति में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए वह किसी दूसरे पर आश्रित न हो, न ही उसे किसी के सामने इसके लिए हाथ फैलाना पड़े, या अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। यह तभी संभव है जबकि सभी को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, कार्य मिले, बेकारी का अन्त किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेतन मिले कि वह अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए निम्नतम जीवन स्तर की रेखा से ऊपर हो सके। इसके लिए श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए वेतन निर्धारण तथा अन्य श्रमिक कानूनों, कार्य करने की दशाओं, स्वस्थ वातावरण, शिक्षा तथा कल्याण की भावना का विकास किया जाए। यदि राज्य उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लागू कर सकता है।

(5) **सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य**—लोककल्याणकारी राज्य स्वस्थ जनमत का निर्माण करने, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने तथा समाज के लाभ के लिए कुछ उपाय अपनाने के लिए समझाने-बुझाने के कार्य भी करता है। राज्य इस कार्य में जनसम्पर्क के साधनों का सहारा लेता है। राज्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। अनाथ, अपाहिज, विधवाओं, वृद्धों, निर्धनों, रोगग्रस्त तथा किसी और प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों को राज्य सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक विपदाओं—सूखा, बाढ़, भूचाल, महामारी आदि में सहायता करता है। ये कार्य भी लोककल्याण से सम्बन्धित हैं।

(6) **सार्वजनिक सुरक्षा का कार्य**—लोककल्याणकारी राज्य का कार्य केवल व्यक्ति के सद्जीवन की बाधाओं को दूर करना ही न होकर सकारात्मक कार्य करना भी है जिससे व्यक्ति का जीवन विकास को प्राप्त कर सके। इसके लिए उसे शिक्षा, परिवहन, संचार के साधन, रेडियो, टेलीवीजन, बैंक, विद्युत, कृषि, सिंचाई, खाद, बीज, फसलों की बिक्री जैसी अनेक

Scanned with CamScanner

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ये सब नहीं कर सकता है।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य—लोक-कल्याणकारी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना है। इसके लिए वह राष्ट्रों से मित्रता करता है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक प्रगति होती है। व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्धों के माध्यम से आयात-निर्यात किया जाता है जिससे देशों में आर्थिक सम्पन्नता आती है। युद्ध और टकराव की नीति से बचने का प्रयास किया जाता है।

(8) राजनीतिक कार्य—लोककल्याणकारी राज्य को वे राजनीतिक कार्य भी करने चाहिए जिनका सम्बन्ध राज्य के नागरिकों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना, अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में सामंजस्य बिठाना तथा नागरिक और राज्य के सम्बन्धों को मधुर बनाने से है। इस प्रकार लोक-कल्याणकारी राज्य के कार्य अनेक हैं और उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि आज वैज्ञानिक प्रगति से मानव जीवन तेजी से बदल रहा है।

राज्य को क्या नहीं करना चाहिए—अभी हमने देखा कि राज्य को क्या करना चाहिए। अब यह देखा जाना है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो राज्य को नहीं करने चाहिए। ऐसे कुछ कार्य निम्न प्रकार हैं—

(1) रीति-रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप न करना—राज्य को जनता के रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह यह निश्चय न कर ले कि यह रीति-रिवाज गलत है और उसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। गलत रीति-रिवाज को सुधारने के लिए राज्य को पूरा अधिकार होता है, जैसे—भारत में सती प्रथा, बाल-विवाह, छुआछूत आदि गलत रीति-रिवाजों को रोकने के लिए कानून बनाये गये।

(2) फैशन—राज्य का यह कार्य नहीं है कि वह लोगों की वेश-भूषा तथा पहनावे पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाये। ये सब चीजें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि राज्य इसमें प्रतिबन्ध लगायेगा तो यह जनता के मन में विरोध पैदा करेगा। **मैकाइवर** के अनुसार, "लोग उन फैशनों का बड़े उत्साह के साथ अनुकरण करते हैं जिनकी घोषणा एक सीमित वर्ग द्वारा लन्दन, पेरिस तथा न्यूयार्क के अज्ञात स्थानों पर होती है। यदि राज्य इतने महत्त्वहीन परिवर्तनों की घोषणा स्वयं करे तो यह एक पाशविक क्रूरता होगी, जिसके फलस्वरूप क्रान्ति भी हो सकती है।" उदाहरण के लिए 1919 में अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह ने अपनी जनता को दाढ़ी कटवाने का आदेश दिया। मुसलमानों को यह अनुचित लगा क्योंकि सरकार को लोगों के फैशन तय करने का अधिकार नहीं है। वहाँ के मुसलमानों ने इस आदेश को चुनौती इस आधार पर दी कि यह उनके धर्म और दैनिक जीवन में हस्तक्षेप है, अतः वहाँ विद्रोह कर दिया गया जिससे अमानुल्लाह को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। सरकार अपने राज्याधिकारियों—पुलिस, सेना और अन्य कर्मचारियों की वेश-भूषा निश्चित कर सकती है।

(3) धर्म में अनुचित हस्तक्षेप नहीं—धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए जिसमें राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। यदि धर्म के नाम पर दूसरों को सताया जाए या

Scanned with CamScanner

जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाए या दूसरे धर्म वालों को अपमानित या दण्डित किया जाए तो राज्य धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। धर्म निरपेक्ष राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होता। इसलिए लोककल्याणकारी राज्य को भी धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(4) **लोकमत पर प्रतिबन्ध न लगाना**—लोककल्याणकारी राज्य को न तो लोकमत और न लोकमत के निर्माण के साधनों पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। लोककल्याणकारी राज्य को तो लोकमत निर्माण के सभी साधनों; जैसे—प्रेस, भाषण, लेखन, रेडियो, टी.वी., समाचार-पत्र, समुदाय या संस्था बनाना आदि की स्वतन्त्रता अधिकतम होनी चाहिए जिससे जनता अपने विचार प्रकट कर सके और वह क्या चाहती है ? इसकी जानकारी मिल सके।

(5) **नैतिकता**—राज्य का यह कार्य नहीं है कि जनता की नैतिक भावना को ठेस पहुंचाये। राज्य के कार्य व्यक्ति के केवल बाहरी आचरण को प्रभावित कर सकते हैं जबकि नैतिकता व्यक्ति के बाहरी और आन्तरिक दोनों क्षेत्रों में प्रभाव डालती है। राज्य का कार्य हमें नैतिक बनाने में सहायता करना है, अपनी नैतिकता थोपना नहीं।

संस्कृति—संस्कृति जाति की होती है। संस्कृति अपने को कला, साहित्य तथा संगीत आदि के रूप में प्रकट करती है। राज्य संस्कृति के विकास में सहायता कर सकता है, लेकिन उसे जन्म नहीं दे सकता है। संस्कृति राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर की वस्तु है। **मैकाइवर** के शब्दों में, "संस्कृति, जो कि व्यक्तियों की आत्मा या किसी विशेष समय की अभिव्यक्ति है, राज्य की शक्ति से बाहर है।"

(7) **कला-साहित्य, संगीत**—राज्य का यह कार्य है कि वह साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतज्ञों को अपने-अपने क्षेत्र में सहायता प्रदान करे, जिससे वे मौलिक क्षमताओं को विकसित कर सकें, न कि राज्य उन पर प्रतिबंध लगाये।

(8) **समुदायों के कार्यक्षेत्रों में अनुचित हस्तक्षेप न करना**—राज्य का यह कार्य नहीं है कि वह मनुष्यों के समुदायों के कार्यक्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप करे, जैसे—परिवार, धर्म आदि। प्राथमिक समुदायों में राज्य का हस्तक्षेप सामुदायिक स्वतन्त्रता को नष्ट करता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो तभी राज्य इनमें हस्तक्षेप करे।

आलोचना—लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है—

(1) **राज्य की निरंकुशता का भय**—राज्य के अधिकांश कार्यों की वृद्धि से राज्य की निरंकुशता का भय बन जाता है। राज्य के कर्मचारियों की शक्तियाँ, लालफीताशाही, नौकरशाही के बढ़ने की संभावना हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(2) **ऐच्छिक समुदायों की प्रतिष्ठा को धक्का**—लोककल्याण के नाम पर राज्य आज ऐच्छिक समुदायों के कार्यों मे भी हस्तक्षेप करने लगा है जिससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है।

(3) **अधिक खर्चीली व्यवस्था**—लोककल्याण के लिए राज्य को अनेक योजनाएँ बनानी और चलानी होती हैं जिसके लिए अत्याधिक धन चाहिए निर्धन देश इसे भली-भाँति प्रकार लागू नहीं कर पाते हैं।

Scanned with CamScanner

(4) अकुशलता—कार्य की अधिकता अकुशलता को जन्म देती है। कार्य की अधिकता से काम देरी से होते हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

(5) लोकहित की परिभाषा जटिल—लोकहित क्या है यह एक जटिल प्रश्न है। लोकहित का जो अर्थ भारत में है वह अमेरिका में नहीं है। राज्य जो कुछ करता है उसमें कुछ न कुछ कमियाँ दिखायी देने लगती हैं अतः लोकहित की अभिव्यक्ति कठिन है।

(6) पूँजीवाद का प्रतीक—कुछ आलोचक यह मानते हैं कि पूँजीवाद ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोक-कल्याणकारी राज्य के द्वारा किये जाने वाले कार्यों से पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में अनेक विचारधाराओं के होते हुए भी आज लोककल्याणकारी राज्य का विचार सर्वमान्यता प्राप्त करता जा रहा है। लोककल्याणकारी राज्य के कार्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित होते हैं। आज राज्य के कार्यों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है लोककल्याणकारी राज्य की कुछ आलोचना भी की जाती है। परन्तु आज यह विचार बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है।

Scanned with CamScanner